न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 14 / 2015

1. लेखराम पुत्र चुनाराम, जाति जाट निवासी पीपल का बास ग्राम महरादासी,पंचायत समिति व जिला झुंझुनू।
2. बनवारी पुत्र चुनाराम, जाति जाट निवासी पीपल का बास ग्राम महरादासी,पंचायत समिति व जिला झुंझुनू।

—निगरानीकार

—बनाम—

1. मूलचंद पुत्र चुनाराम, जाति जाट निवासी पीपल का बास ग्राम महरादासी,पंचायत समिति व जिला झुंझुनू।
2. देवकरण पुत्र चुनाराम, जाति जाट निवासी पीपल का बास ग्राम महरादासी,पंचायत समिति व जिला झुंझुनू।
3. ग्राम पंचायत महरादासी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महरादासी पं.सं. झुंझुनू जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि01994
विरूद्ध आदेश दिनांक 09.10.1999 प्रस्ताव संख्या—2
ग्राम पंचायत महरादासी पटटा सं. 18 मूलचंद
पुत्र चूनाराम जाति जाट पीपल का बास ।

उपस्थितिः—

1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट ——— ——— निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री द्वारका प्रसाद एडवोकेट ——————गैर निगरानीकार कनंबर 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.10.2019

उक्त उनवानी निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि0 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 09. 10.1999 प्रस्ताव संख्या—2 ग्राम पंचायत महरादासी पटटा सं. 18 मूलचंद पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि — गैर निगरानीकार संख्या 1 मूलचंद ने एक आवेदन पत्र पट्टा चाहने बाबत ग्राम पंचायत महरादासी में पेश किया जो किस तारीख को पेश किया गया दर्ज नहीं है और ना ही यह दर्ज है कि कितने वर्षों से कब्जा है। मूलचंद की उम्र ही पट्टा के आवेदन करते समय 35 वर्ष की थी तो उसका पुराना कब्जा कैसे

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है, इस बाबत ग्राम पंचायत का जांच करनी चाहिये थी कि पुराना कब्जा कैसे है, क्या पुश्तैनी गुवाड़ी है, अगर पुश्तैनी गुवाड़ी है तो अन्य हिस्सेदारों को नोटिस देकर के सुनकर के ही ग्राम पंचायत को निर्णय करना चाहिये था। ग्राम पंचायत ने गौर ना कर मनमाने रूप से निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत 145 (1) में पट्टा चाहने का आवेदन पेश होगा व नियम 145 (2) में 25 रूपये फीस जमा होगी परन्तु ग्राम पंचायत महरादासी ने राजस्थान पंचायती राज के नियम 145 (2) की पालना किये बिना ही गैर निगरानीकार मूलचन्द के हक में पट्टा जारी करने का आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। पट्टा चाहने वाला व्यक्ति पट्टा चाहे जाने वाली जमीन का नजरी नक्शा पेश करेगा। ग्राम पंचायत के आदेश के बावजूद भी गेर निगरानीकार ने प्रस्तावित नजरी नक्शा पेश नहीं किया व ना ही नजरी नक्शा पेश ना करने की सूरत में नियम 145 (3) के तहत फीस 25 रूपये ग्राम पंचायत में जमा करवाई। ग्राम पंचायत के पंचों की कमेटी ने स्थल का निरीक्षण ना कर सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत में बैठकर के रिपोर्ट तैयार करवाली, क्योंकि पंचों ने अपनी रिपोर्ट में कोई नजरी नक्शा पेश नहीं किया है व चारों दिशा भी दर्ज नहीं की है। रिपोर्ट तैयार करनेवाले शिशुपाल का नाम दर्ज है व हस्ताक्षर की जगह सरपंच के हस्ताक्षर हैं । ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट में भी राजस्थान पंचायती राज नियम 146 की पालना में रिपोर्ट नहीं है। नियम 146 की पालना के बाबत पंचों की रिपोर्ट में कुछ भी दर्ज नहीं है तथा पंचों ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर के पटटा चाहने वाली जमीन की दर भी तय कर दी है। ग्राम पंचायत ने उसी दर पर पट्टा जारी किया है। पुराने कब्जे को राजस्थान पंचायती राज के नियम 156 के तहत पुराने कब्जे की जांच कर आपसी बातचीत से पट्टा जारी करना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत ने इस तरफ गौर ना कर मनमाने रूप से पटटा जारी करने का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। गैर निगरानीकार मूलचंद ने पटटा चाहने बाबत आवेदन पेश किया है उसमें पंचों की मौका रिपोर्ट आदि किसी भी दस्तावेज में यह दर्ज नहीं है कि उक्त मूलचंद का गुवाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ से है, ग्राम पंचायत महरादासी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिस जमीन का मूलचंद गैर निगरानीकार ने पट्टा चाहा है वह जमीन मय मकानात के स्व0 चुनाराम की गवाड़ी में पुराने मकानात व गुवाड़ी का स्व. चुनाराम के पुत्रों में विभाजन नहीं हुआ है। आपसी सहुलियत से ही आबाद है व बिना इस पैत्रिक गुवाड़ी व मकानों का विभाजन हुये एक व्यक्ति पट्टा नहीं बना सकता है। इस गुवाड़ी में स्थित मकानों का पट्टा ठिकाना के समय का ही चुनाराम के पिता के नाम से बना हुआ है, इसलिये कानूनन भी पटटा जारी नहीं बन सकता। उक्त चुनाराम के वारिसान में निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 1 व 2 का इस गुवाड़ी में हक व हिस्सा है। इसलिये बिना हक व हिस्सेदारों को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफ पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

महरादासी ने कानूनी गलती की है। कानूनन आपति नोटिस नियमानुसार जारी करना चाहिये था, परन्तु आपति नोटिस कहां पर चस्पा किया, किसके सामने चस्पा किया, उसकी पूरी वल्दियत व चस्पा करने का दिनांक व समय दर्ज करना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकार मूलचन्द के हक में निर्णय पारित करने की नियत से नोटिस चस्पा किये बिना ही आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। ग्राम पंचायत महरादासी ने आपति ना आने पर यह निर्णय करना चाहिये था कि इस जमीन का पटटा जारी किया जावे या नहीं यह अन्तरिम निर्णय पारित करने के बाद एक माह का समय दिया जाकर बाद में अतिम निर्णय पारित करना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत ने इस तरफ गौर ना कर मनमाने रूप से बहक मूलचन्द पट्टा जारी करने में गलती कानूनी की है। अंत में निगरानी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत महरादासी का प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 09.10.1999 में बहक मूलचंद पुत्र चुनाराम जाट निवासी पीपल का बास के हक में जारी पटटा देने के आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि जिस जमीन का मूलचंद गैर निगरानीकार ने पट्टा चाहा है वह जमीन मय मकानात के स्व0 चुनाराम की गवाड़ी में पुराने मकानात व गुवाड़ी का स्व. चुनाराम के पुत्रों में विभाजन नहीं हुआ है। आपसी सहुलियत से ही आबाद है व बिना इस पैत्रिक गुवाड़ी व मकानों का विभाजन हुये एक व्यक्ति पट्टा नहीं बना सकता है। इस गुवाड़ी में स्थित मकानों का पट्टा ठिकाना के समय का ही चुनाराम के पिता के नाम से बना हुआ है, इसलिये कानूनन भी पटटा जारी नहीं बन सकता। उक्त चुनाराम के वारिसान में निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 1 व 2 का इस गुवाड़ी में हक व हिस्सा है। इसलिये बिना हक व हिस्सेदारों को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफ पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत महरादासी ने कानूनी गलती की है। गैर निगरानीकार संख्या 1 मूलचंद ने एक आवेदन पत्र पट्टा चाहने बाबत ग्राम पंचायत महरादासी में पेश किया जो किस तारीख को पेश किया गया दर्ज नहीं है और ना ही यह दर्ज है कि कितने वर्षों से कब्जा है। मूलचंद की उम्र ही पट्टा के आवेदन करते समय 35 वर्ष की थी तो उसका पुराना कब्जा कैसे है, इस बाबत ग्राम पंचायत का जांच करनी चाहिये थी कि पुराना कब्जा कैसे है, क्या पुश्तैनी गुवाड़ी है, अगर पुश्तैनी गुवाड़ी है तो अन्य हिस्सेदारों को नोटिस देकर के सुनकर के ही ग्राम पंचायत को निर्णय करना चाहिये था। कानूनन आपति नोटिस नियमानुसार जारी करना चाहिये था, परन्तु

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

आपति नोटिस कहां पर चस्पा किया, किसके सामने चस्पा किया, उसकी पूरी वल्दियत व चस्पा करने का दिनांक व समय दर्ज करना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकार मूलचन्द के हक में निर्णय पारित करने की नियत से नोटिस चस्पा किये बिना ही आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महरादासी का प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 09.10.1999 में बहक मूलचंद पुत्र चुनाराम जाट निवासी पीपल का बास के हक में जारी पटटा देने के आदेश को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 (2) डीएनजे 570, 2017 (2) डीएनजे 730, 2017 (2) डीएनजे 668, 2016 (3) डीएनजे 1203, 2017 (4) डीएनजे 1799 पेश किये ,

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 1 ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत महरादासी का आदेश दिनांक 09.10.1999 करीब 16 साल पुराना है। प्रकरण में मियाद का बिन्दू है। निगरानीकार द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अनुसार ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील पंचायत समिति की स्थापना समिति के समक्ष होगी। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार मूलचंद को जिस गुवाड़ी का पट्टा जारी किया वह स्व0 चुनाराम की गुवाड़ी है जिसका उनके पुत्रों में विभाजन नहीं हुआ है, बिना विभाजन हुये एक व्यक्ति को पटटा नहीं दिया जा सकता। उक्त गुवाड़ी का पटटा ठिकाना के समय का ही चुनाराम के पिता के नाम से बना हुआ है जिसको खारिज किये बिना दूसरा पटटा जारी नहीं हो सकता। जहां तक प्रश्नगत पटटे का संबंध है, गैर निगरानीकार मूलचन्द द्वारा जो प्रार्थना पत्र पट्टा प्राप्त करने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत मेहरादासी को प्रस्तुत किया है उसमें अपनी कई वर्ष पुरानी कब्जेशुदा भूमि बताकर पट्टा दिये जाने का निवेदन किया गया है, लेकिन इस प्रार्थना पत्र में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है कि विवादित भूखण्ड पर गैर निगरानीकार कब से काब्जि है। पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट भी एक छपे–छपाये फार्म को भरकर तैयार किया गया है इस रिपोर्ट में भी विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार का कितनी भूमि पर कितने वर्षों से कब्जा है कोई अंकन नहीं किया गया है और ना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर कोई नक्शा बनाया गया है जिससे विवादित भूमि के माप की जानकारी हो । कमिश्नर मौका रिपोर्ट में

48
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पुराने निर्मित मकान का मौजुद होना नहीं दर्शाया गया है, जिससे पुराने निर्मित मकान के तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत मेहरादासी द्वारा गैर निगरानीकार के नाम से 754 वर्ग गज भूमि का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत मेहरादासी की पटटा संख्या 18 की पत्रावली के अवलोकन का अवलोकन किया गया । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/नक्शा नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि गैर निगरानीकार का 754 वर्गगज भूमि पर पुराना कब्जा हो या 754 वगै गज भूमि के पट्टे की मांग की गई हो। ग्राम पंचायत वाहिदपुरा को गैरा निगरानीकार की 754 वर्गगज भूमि पर पुराने कब्जे के संबंध में जानकारी कहां से प्राप्त हुई कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत मेहरादासी द्वारा पट्टा संख्या–18 दिनांक 9.10.1000 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहों के नियमितिकरण के प्रावधान दिये गये हैं, लेंकिन प्रश्नगत पट्टा का प्रारूप नियम 157 का नहीं है, इस पट्टे पर ग्राम सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मेहरादासी पंचायत समिति झुंझुनू का आदेश प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 09.10.1999 के द्वारा जारी पटटा संख्या 18 मूलचंद पुत्र चुनाराम, निरस्त किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2019.11.11 10:44:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: